संख्या-226/2024/आई/685971/23-1-24/002-23-1002(002)/127/2024

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 06 जुलाई, 2024**

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से मेरठ मण्डल के विभिन्न जनपदों के 12 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ पत्र संख्या-8697/CE-HQ1/RSN3054/MRT/2024-25, दिनांक 10.05.2024, पत्र संख्या-8772/CE-HQ1/RSN3054/MRT/2024-25, दिनांक 15.05.2024, पत्र संख्या-9207/CE-HQ1/RSN3054/MRT/2024-25, दिनांक 19.06.2024, एवं पत्र संख्या-9280/CE-HQ1/RSN3054/MRT/2024-25, दिनांक 28.06.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार मेरठ मण्डल के विभिन्न जनपदों **के 12 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 5,19,19,000/- (रूपये पांच करोड़ उन्नीस लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख. मेरठ	जनपद मेरठ के अन्तर्गत चौधरी चरण सिंह कॉवड़ मार्ग नहर की बायी पटरी (चैनेज 106.500 से चैनेज 148.800 तक) के किमी 108, 111, 112, 113, 115 से 117, 119 से 125 एवं 131 (लम्बाई 15.000 किमी) में बी0सी0 द्वारा विशेष मरम्मत का कार्य।	570 /2023/896(2) रासनि/23-1-23/002-03(बी) आरएसएन-एमआरटी /23 - दिनांक-26-06-2023	432.95 432.95 308.62 68.00 364.95	246.17	118.78	59.25
2	प्रा.ख. बागपत	बडौत-छपरौली-टाण्डा	58 /2023/1356 रासनि (12)/23-1-22/001-59 आरएसएन/2022 दिनांक-07-01-2023	311.77 311.77 188.69 57.22 254.55	209.25	45.3	45.30

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
3	प्रा.ख. बागपत	दिल्ली सहारनपुर रोड बावली छछरपुर गूंगाखेडी मार्ग	262 /2023/675 रासनि(2)/23-1-2023/001-31 आरएसएन/2023 - दिनांक-12-03-2023	43.49 43.49 31.62 5.4 38.09	28.47	9.62	9.62
4	प्रा.ख. बुलन्दशहर	एन0एच0-91 बुलन्दशहर आबादी भाग चैनेज 6.125 से	437 /2022/1032 रासनि/23-1-2022/001-48 आरएसएन/2022 टीसी-1 दिनांक-25-11-2022	102.67 102.67 43.39 14.96 87.71	79.42	8.29	8.29
5	प्रा.ख. बुलन्दशहर	शिवाली से जाडौल जडौली मार्ग	58 /2023/1356 रासनि (12)/23-1-22/001-59 आरएसएन/2022 दिनांक-07-01-2023	121.49 121.49 74.33 26.79 94.7	89.56	5.14	5.14
6	प्रा.ख. बुलन्दशहर	बुलन्दशहर-ताजपुर मार्ग।	262 /2023/675 रासनि(2)/23-1-2023/001-31 आरएसएन/2023 दिनांक-12-03-2023	68.94 68.94 84.78 0.76 68.18	53.22	14.96	14.96
7	प्रा.ख. बुलन्दशहर	लखावटी-सैदपुर मार्ग।	262 /2023/675 रासनि(2)/23-1-2023/001-31 आरएसएन/2023 दिनांक-12-03-2023	66.42 66.42 56.53 8.11 58.31	45.73	12.58	12.58
8	प्रा.ख. बुलन्दशहर	नरसैना नहर के पुल से नरेन्द्रपुर - शरीफपुर होते हुए अवन्तिका देवी मन्दिर तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	437 /2022/1032 रासनि/23-1-2022/001-48 आरएसएन/2022 टीसी-1 दिनांक-25-11-2022	141.82 141.82 48.38 27.29 114.53	104.53	10.00	10.00
9	प्रा.ख. बागपत	जनपद बागपत में बन्थला ढिकौली मार्ग(अन्य जिला मार्ग) का सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	90 /2024/ आई/515263/23-1-24/001-23-1002(002)/54/2024 -दिनांक-07-03-2024	561.90 561.90 337.73 76.32 485.58	141.47	344.11	140.47
10	नि.ख.-2 गाजियाबाद	दिल्ली मेरठ (राज्य मार्ग सं0 0-117) के किमी 9.00 (लं0 2250 मी0), चैनेज 14.260 से 14.580, चै0 14.650 से 15.800, चै0 16.00 से 17.150, चै0 17.290 से 17.650 मार्ग के बायी ओर तथा चै0 14.260 से 15.700, 16.000 से 17.650 मार्ग के दायी ओर तक मोहननगर चैराहे से मेरठ तिराहे तक मार्ग पर सामान्य मरम्मत के साथ बी0सी0 से नवीनीकरण का कार्य।	981/2023/आई/409083/23-1-23/001-23-1002(002)/190 /2023-दिनांक-17-10-2023	676.80 676.80 459.23 134.91 541.89	203.13	338.76	155.00
11	नि.ख.-2 गाजियाबाद	दिल्ली मेरठ (राज्य मार्ग सं0 117) के चैनेज 15.800 से 16.000, मार्ग के बायी ओर, चै0 14.800 से 14.900, 15.7000 से	980/2023/आई/409080/23-1-23/001-23-1002(002)/189/202	466.26 466.26 329.01 78.03 388.23	326.38	61.85	42.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		16.000 मार्ग के दायी ओर अर्थला मेट्रो स्टेशन एवं मोहननगर मेट्रो स्टेशन के नीचे जलभराव अत्यन्त क्षतिग्रस्त भाग में सी0सी0 निर्माण का कार्य, चैनेज 15.330 से 15.700, चै0 16.000 से 16.6100 में दायी ओर पुर्नस्थापना का कार्य तथा किमी 15(740), 16, 17, 18(650) तक में रंगाई पुताई आदि द्वारा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	3-दिनांक-17-10-2023				
12	नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर	पहासू - पीतमपुर पण्ड्रावल चौराहा	262 /2023/675 रासनि(2)/23-1-2023/001-31 आरएसएन/2023 दिनांक-12-03-2023	178.68 178.68 129.48 27.13 151.55	134.97	16.58	16.58
						कुल योग-	**519.19**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 5,19,19,000/- (रूपये पांच करोड़ उन्नीस लाख उन्नीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-226/2024/आई/685971(1)/23-1-24/002-23-1002(002)/127/2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।